महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

कार्यवृत्त

विद्या परिषद् की 77वीं बैठक

दिनांक

23 जुलाई, 2024

स्थान

बृहस्पति भवन

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय

अजमेर ।

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

विद्या परिषद् की 77वीं बैठक

कार्यवृत्त (Minutes)

विद्या परिषद् की 77वीं बैठक दिनांक 23.07.2024 को प्रातः 11.30 बजे बृहस्पति भवन स्थित प्रबन्ध बोर्ड कक्ष मे सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:-

1.	प्रो. अनिल कुमार शुक्ला, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो. मोनिका भटनागर, संकायाध्यक्ष-महाविद्यालय	सदस्य
3.	प्रो. शिव दयाल सिंह, संकायाध्यक्ष-समाज विज्ञान संकाय एवं विभागाध्यक्ष-अर्थशास्त्र विभाग	सदस्य
4.	प्रो. शिव प्रसाद, संकायाध्यक्ष-प्रबन्ध अध्ययन संकाय तथा विभागाध्यक्ष, प्रबन्ध अध्ययन विभाग	सदस्य
5.	प्रो. सुब्रतो दत्ता, संकायाध्यक्ष-विज्ञान संकाय एवं विभागाध्यक्ष-रिमोट सेंसिंग एण्ड जियो-इन्फोरमेटिक्स विभाग एवं पर्यावरण अध्ययन विभाग	सदस्य
6.	डॉ. अनिल दाधीच, संकायाध्यक्ष-कला संकाय	सदस्य
7.	डॉ. दुष्यन्त त्रिपाठी, संकायाध्यक्ष-ललित कला संकाय	सदस्य
8.	प्रो. एस.वी. शर्मा, संकायाध्यक्ष-शिक्षा संकाय	सदस्य
9.	प्रो. नीरज भार्गव, विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर साईंस विभाग	सदस्य
10.	प्रो. आशीष भट्नागर, विभागाध्यक्ष, सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग	सदस्य
11.	प्रो. रीटा मेहरा, विभागाध्यक्ष, शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायनशास्त्र विभाग	सदस्य
12.	प्रो. ऋतु माथुर, विभागाध्यक्ष, खाद्य पोषण एवं विज्ञान विभाग	सदस्य
13.	प्रो. अरविन्द पारीक, विभागाध्यक्ष- वनस्पतिशास्त्र विभाग	सदस्य
14.	प्रो. रेशमा बूलचंदानी, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	सदस्य
15.	कुलसचिव	सदस्य-सचिव

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय ने विद्या परिषद् के नवीन सदस्यों का स्वागत किया तथा कुलसचिव महोदया को विद्या परिषद की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया ।

मद	विवरण	अनुभाग / विभाग
मद सं0 01	विद्या परिषद् की 75वीं बैठक दिनांक 25.01.2024 एवं विद्या परिषद् की 76वीं बैठक दिनांक 11.06.2024 के कार्यवृत्त की पुष्टि करना । उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति सभी माननीय सदस्यों को इस कार्यालय के क्रमशः पत्र क्रमांक एफ. 13 (75) शैक्षणिक-I/मदसविवि/2024/2930-44 दिनांक 31.01.2024 एवं पत्र क्रमांक एफ. 13 (76) शैक्षणिक-I/ मदसविवि/2024/16096-115 दिनांक 11.06.2024 के द्वारा प्रेषित की गई ।	शैक्षणिक-I
निर्णय	**विद्या परिषद् की 75वीं बैठक दिनांक 25.01.2024 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी साथ ही विद्या परिषद् की 76वीं बैठक दिनांक 11.06.2024 के कार्यवृत्त की निम्नलिखित प्रेक्षण के साथ पुष्टि की गयीः-** **मद संख्या 03:-** **"उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।"** के स्थान पर **"संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार के द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 07.06.2024 की बैठक का कार्यवृत्त क्रमांक प. 18 (16)Edu-4/2024 Jaipur, Dated 12-06-2024 को विश्वविद्यालय में प्रवृत्त एवं मान्य किया गया ।"** पढ़ा जाय ।	
मद सं0 02	विद्या परिषद् की 73वीं बैठक दिनांक 04.09.23, विद्या परिषद् की 74वीं बैठक दिनांक 22.09.2023 एवं विद्या परिषद् की 75वीं बैठक दिनांक 25.01.2024 के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (Action Taken Report) का अवलोकन कर अनुमोदन करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-1, 2 एवं 3)**	शैक्षणिक-I
निर्णय	**अनुमोदन किया गया ।**	
मद सं0 03	The Research Ordinance of the University O.124.6 regarding the procedure for admission to the Ph.D. programme states that the HEI admits students through and entrance test conducted at the level of the individual HEI (RET in case of the MDS University, Ajmer). In compliance of the UGC Public Notice No. F. 4-1 (UGC-NET Review Committee/2024/ (NET)/140648, Dated 27th	शोध

	March, 2024) and based on the Expert Committee's recommendation in its 578th (held on 13-03-2024) the UGC has decided that from the academic session 2024-25 (from June, 2024 onwards), the NET score can be used for admission to Ph.D programmes in place of entrance tests conducted by the different Universities /HEIs. The details of this Public Notice of 27-03-2024 may be incorporated in the research ordinance regarding the procedure for admission in place of O.124.6.	
निर्णय	**उक्त प्रस्ताव पर गहन विचार-विमर्श कर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी पब्लिक नोटिस No. F-4-1(UGC-NET Review Committee)/2024 (NET)/140648 March 27, 2024/7 चैत्र 1946 को विश्वविद्यालय में प्रवृत्त एवं मान्य किये जाने का निर्णय लिया ।**	
मद सं0 04	विद्या परिषद की 73वी बैठक दिनांक 04.09.2023 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त पत्र क्रमांक D.O. No. F.2-71/2022 (CPP-II) Dated 3 July, 2023 **(कार्यसूची का परिशिष्ट-4)** के अनुसार सत्र 2023-24 में प्रवेश शुल्क लौटाने हेतु फीस रिफण्ड पॉलिसी पर निर्णय हेतु प्रकरण रखा गया था। उक्त विद्या परिषद की बैठक में मद संख्या 08 में लिये गये निर्णय की पालना में सत्र 2023-24 में प्रवेश शुल्क लौटाने हेतु बनायी गयी फीस रिफण्ड पॉलिसी के संबंध में प्रो. शिव प्रसाद व प्रो. रीटा मेहरा की समिति का गठन किया गया **(कार्यसूची का परिशिष्ट-5)** । उल्लेखित समिति ने अपनी अनुशंसाएं **(कार्यसूची का परिशिष्ट-6)** प्रस्तुत की, जिसका माननीय कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 22.11.2023 को अनुमोदन किया गया। तदुपरान्त इसकी पालना हेतु वित्त नियंत्रक महोदय को फीस रिफण्ड हेतु समिति की अनुशंसा सहित पत्र क्रमांक 31681-718 दिनांक 23.12.2023 जारी किया गया **(कार्यसूची का परिशिष्ट-7)** । विभागाध्यक्ष, सूक्ष्म जीव विज्ञान से प्राप्त पत्रावली पर अवगत कराया गया कि छात्रों को यू.जी.सी. के नियमानुसार फीस रिफण्ड देय है। इस क्रम में माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार समिति के सदस्य प्रो. शिव प्रसाद ने टिप्पणी प्रस्तुत की। समिति के सदस्य प्रो. शिव प्रसाद की टिप्पणी अनुसार उल्लेखित समिति की अनुशंसानुसार प्रवेश शुल्क को रिफण्ड करने का प्रावधान नहीं है, बताया गया है। इसी क्रम में प्रो. आशीष भटनागर द्वारा यू.जी.सी. के पत्रों का हवाला दिया गया है (सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग से प्राप्त छात्रों के आवेदन-पत्रों के आधार पर) जिसमें प्रवेश शुल्क लौटाये जाने के प्रावधान है। अतः उक्तानुसार विद्यार्थी हित को दृष्टिगत रखते हुए रिफण्ड ऑफ	**शैक्षणिक-II**

	फीस पॉलिसी के संबंध में यू.जी.सी. से प्राप्त पत्र D.O. No. F.2-71/2022 (CPP-II) Dated 3 July, 2023 पुनः विचार हेतु मद विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	
निर्णय	**उक्त मद पर गहन विचार-विमर्श कर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक F 12-5/2023 (FNT/NET)-Fee Nivaran February 9, 2024/20 माघ, 1945 के अनुसरण में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र D.O. No. F.2-71/2022 (CPP-II) Dated 3 July, 2023 के अनुसार पात्र विद्यार्थियों को शुल्क लौटाये जाने का निर्णय लिया गया साथ ही उक्त निर्णय से राज्य सरकार को सूचित करने का भी निर्णय लिया गया । प्रो. रीटा मेहरा ने इस निर्णय पर अपना Note of dissent दर्ज कराया (Note of dissent परिशिष्ट- 1)**	
मद सं0 05	सत्र 2024-25 हेतु विश्वविद्यालय के स्नातक स्तर के द्वितीय वर्ष (सेमेस्टर तृतीय एवं चतुर्थ) तथा सत्र 2025-26 हेतु तृतीय वर्ष (सेमेस्टर पंचम एवं षष्टम) के पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसार तैयार कर लागू करने हेतु आयोजित निम्नलिखित अध्ययन बोर्डो/पाठ्यक्रम समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त पर विचार कर अनुमोदन करना (कार्यसूची का परिशिष्ट- 08 से 45):-	**शैक्षणिक-I**

S.No.	Name of BOS/COC	Date of Meeting
1	B.O.S. in Sanskrit	12.03.24
2	B.O.S. in Hindi	05.03.24
3	B.O.S. in Urdu, Persian & Arabic	05.03.24
4	B.O.S. in English	29.02.24
5	B.O.S. in Drawing & Painting	12.06.24
6	B.O.S. in Music	05.03.24
7	B.O.S. in History	05.03.24
8	B.O.S. in Sociology	29.02.24
9	B.O.S. in Economics	05.03.24
10	B.O.S. in Political Science	05.03.24
11	B.O.S. in Geography	05.03.24
12	B.O.S. in Physics	05.03.24
13	B.O.S. in Chemistry	07.03.24 & 06.06.24

14	B.O.S. in Botany	05.03.24 & 21.05.24
15	B.O.S. in Zoology	05.03.24
16	B.O.S. in Maths	29.02.24
17	B.O.S. in Home Science	12.03.24
18	B.O.S. in Food Science & Nutrition	29.02.24
19	B.O.S. in A .B.S.T.	05.03.24
20	B.O.S. in Business Administration	05.03.24
21	B.O.S. in EA& FM	05.03.24
22	B.O.S. in Management Studies	05.03.24
23	B.O.S. in Computer Science & I.T.	13.03.24
24	C.O.C. in Sindhi	05.03.24
25	C.O.C. in Rajasthani	06.03.24
26	C.O.C. in Philosophy	05.03.24
27	C.O.C. in Psychology	29.02.24
28	C.O.C. in Jeevan Vigyan and Jain Darshan	29.02.24
29	C.O.C. in Geology	12.03.24
30	C.O.C. in Micro Biology	21.02.24
31	C.O.C. in Biotechnology	05.03.24 & 21.02.24
32	C.O.C. in Entrepreneurship	29.02.24
33	C.O.C in Education	29.02.24
34	C.O.C. in Physical Education	05.03.24
35	C.O.C. in Yoga & Human Consciousness	29.02.24
36	C.O.C. in Computer Application	29.02.24
37	C.O.C. in Live Stock & Dairying	12.03.24
38	C.O.C. in B.Pharma & D.Pharma	18.05.24

निर्णय	उक्त मद पर विचार-विमर्श का निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः- 1. उपर्युक्त वर्णित अध्ययन बोर्ड/पाठ्यक्रम समिति के कार्यवृत्तों का अनुमोदन किया गया तथा विश्वविद्यालय के स्नातक स्तर के, द्वितीय वर्ष (सेमेस्टर तृतीय एवं चतुर्थ) सत्र 2024-25 हेतु, तृतीय वर्ष (सेमेस्टर पंचम एवं षष्टम) सत्र 2025-26 हेतु तथा स्नातकोत्तर स्तर के तैयार किये गये पाठ्यक्रमों की पी.डी.एफ. फाईल समस्त सदस्यों को ई.मेल के माध्यम से अथवा सी.डी.

	तैयार कर भिजवायी जाय । 2. लोक प्रशासन अध्ययन बोर्ड की बैठक दिनांक 23.07.2024 को आयोजित हुई, इसलिए उक्त बैठक के कार्यवृत्त को पटल पर रखा गया । अतः उक्त बैठक के कार्यवृत्त एवं पाठ्यक्रम के संबंध में भी बिन्दु संख्या 01 के अनुसार कार्यवाही की जाय । 3. विद्या परिषद् के सदस्यों को पाठ्यक्रम प्रेषित करने के 07 दिवस के भीतर विषय से संबंधित किसी सदस्य से यदि कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो समस्त पाठ्यक्रमों के गाईडलाईन के अनुरूप तैयार होने की पुष्टि करने हेतु पूर्वानुसार समिति गठन का प्रस्ताव माननीय कुलपति महोदय को प्रेषित किया जाय । 4. समिति की अनुशंसाओं को स्वीकार करने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया एवं तद्नुसार पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालय की वैबसाईट पर अपलोड किया जाय ।	
मद सं0 06	प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार से पत्र क्रमांक प.18 (10) शिक्षा-4/2020 पार्ट-00485 जयपुर दिनांक 08.07.2024 **(कार्यसूची का परिशिष्ट-46)** प्राप्त हुआ है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों एवं राजकीय महाविद्यालयों की स्नातक कक्षा की प्रवेश नीति में प्रवेश लेने के लिए 02 वर्ष का गैप होने के कारण विद्यार्थी को प्रवेश से वंचित किया जाता है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रावधानों का उल्लंघन है । अतः राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों एवं राजकीय महाविद्यालयों की स्नातक कक्षा की प्रवेश नीति में गैप के कारण विद्यार्थियों को प्रवेश से वंचित किये जाने के प्रावधान को शैक्षणिक सत्र 2024-25 से हटाये जाने के विषय में नियमानुसार कार्यवाही कर राज्य सरकार को अवगत करावें । अतः प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार से प्राप्त उक्त पत्र विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।	शैक्षणिक-II
निर्णय	**उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।**	
मद सं0 07	**उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित निर्णय लिये गयेः-** **1. महाविद्यालयों में विज्ञान विषय के शिक्षकों के वर्कलोड के संबंध में आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर एवं राजस्थान विश्वविद्यालय,**	शैक्षणिक-II

	जयपुर से प्राप्त पत्रों पर विस्तृत विचार-विमर्श कर महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में पूर्व में प्रभावी आदेश क्रमांक एफ 14 ( ) Acad-II/MDSU/2008/4863-5122 Dated 24-01-2009 उल्लेखित Form 1 (A to C), Form 2 मय Appendix A के अनुसार ही कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया । यदि विज्ञान वर्ग में एक सैक्शन है तो बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स तथा कैमिस्ट्री के लिए तीन-तीन शिक्षक तथा गणित के लिए दो शिक्षक होना निश्चित किया गया । यदि किसी महाविद्यालय में 05 से कम विषय है तो इसी क्रम में शिक्षकों की संख्या तय होगी ।	
	2. विश्वविद्यालय में चल रहे बी.एससी. बी.एड. अथवा बी.ए. बी.एड. कोर्स में से किसी एक कोर्स के, एक प्रश्न-पत्र की उत्तर पुस्तिकाओं का, वित्तीय दायित्व के बिना, ट्रायल बेस पर डिजिटल इवेल्यूवेशन करवाये जाने का निर्णय लिया गया ।	परीक्षा नियंत्रक
	3. संकायाध्यक्ष समिति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में ऑनर्स पाठ्यक्रम लागू करने तथा परीक्षा स्कीम तैयार करने हेतु गठित समिति की अनुशंसाओं को लागू किये जाने का निर्णय लिया गया । प्रो. रीटा मेहरा ने उक्त निर्णय पर अपना Note of dissent दर्ज कराया ।	शैक्षणिक-I
	4. लाइब्रेरियन के पद पर पदोन्नति के संबंध में संबंधित संकायाध्यक्ष से पैनल मांगे जाने का निर्णय लिया गया । प्रो. रीटा मेहरा ने उक्त निर्णय पर अपना Note of dissent दर्ज कराया (Note of dissent परिशिष्ट- 2)	संस्थापन
	5. योग शिक्षकों की भर्ती के संबंध में संबंधित संकायाध्यक्ष से पैनल मांगे जाने का निर्णय लिया गया । कुलसचिव ने अवगत कराया कि योग विभाग हेतु शिक्षको के पद स्वीकृत नहीं है इसलिए पद स्वीकृति के उपरान्त ही पैनल मांगा जाना उचित होगा । अतः उक्त निर्णय पर कुलसचिव, प्रो. शिव प्रसाद तथा प्रो. रीटा मेहरा	संस्थापन

		ने उक्त निर्णय पर अपना Note of dissent दर्ज कराया । (Note of dissent परिशिष्ट- 3) इनके अलावा शेष सदस्यों ने प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की ।	

बैठक के अंत में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित किया गया ।

26.7.24

कुलपति

कुलसचिव

परिशिष्ट-1

Note of Dissent on Agenda Item No. 4 :

I am a signatory of the Report of the Committee constituted by Academic Council in its 73rd Meeting on 4th September 2023 on the matter of refund of fees in 2023-24 as per Letter D.O.No. F.2-71/2022 (CPP-II) dated 3rd July 2023.wherein it was pointed out that:

1. UGC Act does not make such recommendations as mandatory. Nor in MDS University Act there is any provision which binds the University to consider all UGC Notifications suomotto and make these applicable on State Universities, without directions of the State Government on such notifications, that too affecting the Finances of the University adversely. Hence an objection.
2. Pursuant to the Report of the Committee, submitted to the Hon'ble Vice-Chancellor on 4.11.2023, letter No. F.14( )Acad.II/MDSU/2023/31680 was issued by Registrar on 23.12.2023. There is no change in the position of Act and Statute which permits refund.
3. Moreover, it affects all the Universities, hence the matter be referred to the State Government and Chancellor for directions in the interest of uniformity.

Hence I submit my note of dissent on the decision on Agenda Item No. 4 to refund the fees .

23.7.2024

परिशिष्ट-2

Note of Dissents on the points raised by the Chair after Agenda Item No. 6 in the 77th Meeting of Academic Council:

The Main Agenda of the 77th Academic Council Meeting held on 23.7.2024, had only Six Agenda Items. The Seventh was "Other Agenda with the permission of the Chair". No Supplementary Agenda was provided to the AC Members either before the meeting or in the meeting. Also no typed Table Agenda was provided in the meeting. But instead, some points were talked by the Chair and without any documents provided to the members in the meeting with respect to those points, some decisions were taken perhaps treating them to be as Agenda.

In absence of any agenda number given to those points if what was spoken by the Chair are considered as agenda items, then as per my views given in the meeting, I submit my Note of Dissent on each of those points which are as follows:

- The Chair spoke that although in his remaining term as Vice-Chancellor, he would not like to appoint new faculty members in the university, but he wishes that Career Advancement of two teachers of MBA Department and that of one Assistant Librarian is done by him in his remaining tenure. The panel of experts for the subject of Management Studies earlier passed by the Academic Council for open selections can be used for the Career Advancement Promotion of two faculty members of Department of Management Studies. The chair also added that panel of experts for the promotion of Assistant Librarian has not been sought by the Academic Council. Hence the panel of Experts for promotion of Assistant Librarian be sought from the Dean or from whosoever the panel is to be taken. Treating his statements as Agenda Item and also decision of Academic Council, most respectfully, I have to submit following Note of dissent.

  Note of Dissent: Prof. (Dr.) Rita Mehra pointed out that the provisions of RUTO Act be looked into for the requirements of CAS as also particularly with respect to the validity of the panel of experts of previous years.
  Further, Prof. (Dr.) Rita Mehra also pointed out that, if the CAS promotions in cited subjects are to be made this way by the university suomotto and considered as legitimate then CAS promotion Scheme has a provision of promotion of Professor to Senior Professor, which has to this date not been implemented even once, be also implemented together with it, for which applications be invited, selections and promotions be made and if these are not made then she dissents on the because besides other grounds it would be arbitrarily discriminatory.

[signature]
23.7.2024

परिशिष्ट-3

- Again from the Chair it was said that towards fulfilling the requirement of the Absorption of Temporary Teachers Act 2008, the panel for Yoga subject be sought from the Dean , Faculty of Vedic Studies for the Yoga Trainers in Yoga Department without any agenda to this effect. It was neither from Member Secretary nor from the relevant section i.e. Establishment Section of the University and was devoid of facts in the form of Explanatory Note. If taking of panel of Experts from Dean, Faculty of Yoga Studies and proceeding further for selections is treated as a decision Prof. Rita Mehra submits following note of dissent.

  Note of Dissent: Prof. (Dr.) Rita Mehra on this point expressed her Note of Dissent on seeking panel for Yoga Subject for selection or regularization as there is neither a sanctioned post of Assistant Professor nor anyone is working As Assistant Professor on Adhoc basis which need selection or reqularization in the Department of Yogic Science and Human Consciousness for which panel can be sought for. Moreover, additional charge Dean, Faculty of Yoga Studies is a Professor of Zoology, who firstly is not a full fledged Dean and secondly not competent to submit names of experts in the field of Yoga. The requirements of MDS University Act and RUTO Act of 1974 and UGC norms are mandatorily to be followed which require that panel of experts is to be sought for filling the posts. Moreover, the copy of the Absorption of Temporary Teachers Act 2008, was not provided to the members which could have revealed whether the Act is in existence as on today or not. Hence this note of dissent.

- Once again from the Chair and not from Member Secretary it was said that it is always heard that examination results are delayed, so there is a company (name not spoken) which had given its presentation earlier for online examination assessment system. It be now given a chance free of cost for sample checking of around 1000-1500 copies of one paper of any subject that has less number of examinees.
  Note of Dissent: Prof. (Dr.) Rita Mehra dissented on the decision of online evaluation on the basis that the provisions of Examination Ordinance with regard to change in evaluation system be put before the house before going for this. For same system of examination there has to be uniformly the same system of evaluation, and students should not be discriminated this way. Further, it would not be proper if the pattern of evaluation is changed for a particular paper of course for which result is to be declared on uniform basis. Thirdly, it is not understandable that examinee is not subjected to online examination system, but evaluation is being suddenly done online, with no proper arrangements for the centralised online assessment nor understanding / discussing the consequences of it. Hence, this dissent.

23.7.2024